


17-10-2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के वकील उपस्थित। चूंकि मूल अपील आज निर्णित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में, यह स्थगन प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से खारिज किये योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

